

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 353/2003

आरसीएमएस नं. :- 2003/00076

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

1. गौरीशंकर }
2. छोटूराम } पिसरान गोपीराम जाति डाकोत निवासी भादरा

— रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 04.02.2003, प्र. सं. 72/2002
अनवान गौरीशंकर आदि बनाम सरकार

उपस्थिति:-

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

दिनांक 10.11.22

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है, इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि ग्राम घेउ के ख. नं. 660 की 0.101 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज है को वादी/रेस्पोंडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी जो कभी भी रेस्पोंडेण्ट के कब्जा काश्त में नहीं रही है। जिसे रेस्पोंडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोंडेण्ट ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नहीं किया है कि सम्वत 2012 से पहले उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो, इसके अभाव में रेस्पोंडेण्ट को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अपीलाण्ट को

lano

अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाण्ट ने अपील में फार्म नं. 3 के साथ ग्राम घेउ की जमाबंदी संवत् 2055 प्रस्तुत हुई है जिसमें प्रश्नगत खसरा नं. 660 की भूमि गैर मुमकिन जोहड़ अंकित है। विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि को गैर खातेदारी भूमि मानते हुए खातेदारी दर्ज करने एवं गैर खातेदारी शब्द को कलमजन किये जाने के आदेश दिये हैं। प्रकरण में स्थिति स्पष्ट नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैरखातेदारी किस आधार पर माना है जबकि प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार यह भूमि जोहड़ के नाम दर्ज है। इस बिन्दू को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। रेस्पोजेण्ट ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोजेण्ट को प्रदान किये हैं लेकिन अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.07.2003 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक ~~10.11.21~~ को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Caro

10.11.21

(करतारसिंह पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़